न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – राजीव द्विवेदी, RAS

प्रकरण संख्या : 14 / 2025
जी.सी.एम.एस नं. : 2025 / 16

राजस्थान राज्य जरिये श्री उम्मेद मल टेलर खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री मनोज दोसी पुत्र श्री महेश दोसी जाति जैन निवासी डाक घर के सामने बांसवाडा, (विक्रेता) मैसर्स दोसी मार्केटिंग कम्पनी, जी.पी.ओ. सर्कल के सामने, बांसवाडा मो.नं. 9414102529
2. श्रीमती हर्षिता दोसी पत्नी मनोज दोसी (फर्म मालिक) निवासी डाक घर के सामने बांसवाडा, (विक्रेता) मैसर्स दोसी मार्केटिंग कम्पनी, जी.पी. ओ. सर्कल के सामने, बांसवाडा मो.नं. 9414102529
3. **Deepak Bhagwati Prasad Sharma (Nominee) M/S HAVMOR ICECREAM PRIVATE LIMITED, Reg. Office-2nd Floor, Commerce House-4, Beside Shell Petrol Pump, 100Ft Road Prahlad Nagar, Ahmedabad-380015 mob no- 7940209000**
4. **M/S HAVMOR ICECREAM PRIVATE LIMITED, Reg. Office-2nd Floor, Commerce House-4, Beside Shell Petrol Pump, 100Ft Road Prahlad Nagar, Ahmedabad-380015 mob no- 7940209000**

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 28–04–2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि **श्री शशिकांत शर्मा** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक **08–05–2025** को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक **09–05–2024** को 1.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच **मैसर्स दोसी मार्केटिंग कम्पनी, जी.पी.ओ. सर्कल के सामने, बांसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री मनोज

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:29 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

दोसी पुत्र श्री महेश दोसी उपस्थित थे। विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स दोसी मार्केटिंग कम्पनी, जी.पी.ओ. सर्कल के सामने, बांसवाडा का निरीक्षण करने पर दुकान में खाद्य पदार्थ **Cake Icecream Red valvet Heart Beat (Havmor)** 10 पैकेट प्रत्येक 450 एम.एल के रखे थे। उक्त खाद्य पदार्थ **Cake Icecream Red valvet Heart Beat (Havmor)** को एफएसएसए 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का नही होने का शक हुआ। शक होने पर सूचना देते हुए खाद्य पदार्थ **Cake Icecream Red valvet Heart Beat (Havmor)** के 4 पैकेट प्रत्येक में 450 एम.एल के वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 960/– रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **Cake Icecream Red valvet Heart Beat (Havmor)** के 4 पैकेट प्रत्येक में 450 एम.एल के चार पैकेट खोलकर पिघलाकर 4 प्लास्टिक की बोतलो में प्रत्येक पैकेट को डालकर प्रिजर्वेटिव फार्मेलीन की 40–40 बूंदे डालकर एयर टाईड ढक्कन बन्द कर 4 नमूना भाग तैयार किये। प्रत्येक नमूना भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा का कोड क्रमांक **W-1819** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनो पर गवाहो के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारो नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:29 IST
Reason: SelfAttested

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/247 दिनांक 30–05–2024 [illegible] खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 581 दिनांक 30–05–2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Cake Icecream Red valvet**

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Heart Beat (Havmor) का नमुना कोड क्रमांक **W-1819** Substanderd food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा निर्धारित अवधि में पुनः जांच हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नही किया है।

मैसर्स **मैसर्स दोसी मार्केटिंग कम्पनी, जी.पी.ओ. सर्कल के सामने, बांसवाडा** को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं यदि आपने खाद्य पदार्थ **Cake Icecream Red valvet Heart Beat (Havmor)** किसी अन्य फर्म से खरीदा है जिस पर विक्रेता ने उक्त खाद्य पदार्थ **M/S HAVMOR ICECREAM PRIVATE LIMITED, Reg. Office-2nd Floor, Commerce House-4, Beside Shell Petrol Pump, 100Ft Road Prahlad Nagar, Ahmedabad** से खरीद होने का बिल प्रस्तुत किया। **M/S HAVMOR ICECREAM PRIVATE LIMITED, Reg. Office-2nd Floor, Commerce House-4, Beside Shell Petrol Pump, 100Ft Road Prahlad Nagar, Ahmedabad** को पत्र लिखकर फर्म से सम्बन्धित सूचना चाहने एवं यदि आपने उक्त खाद्य पदार्थ **Cake Icecream Red valvet Heart Beat (Havmor)** किसी अन्य फर्म से खरीदा है बाबत् बार बार पत्र लिखने पर आज दिनांक तक कोई सूचना प्राप्त नही हुई।

विक्रेता द्वारा खाद्य पदार्थ **Cake Icecream Red valvet Heart Beat (Havmor)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 08–05–2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 09.06.2025 को अप्रार्थी सं. 1 का नोटिस बाद तामील पेश हुआ। दिनांक 11.08.2025 को अप्रार्थी सं. 3, 4 की ओर से श्री नरेन्द्र सिंह झुला अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र पेश हुआ। दिनांक 25.11.2025 को अप्रार्थी सं. 2 को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस प्रेषित किया गया, जो डाक ट्रेक कन्साईन्मेंट रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी सं. 2 के पते पर दिनांक 28.11.2025 को पहुंच चुका है। दि[illegible].12.2025 को अप्रार्थी सं. 1 व 2 के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने बाबत् आदेश दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:29 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

दिनांक 25.11.2025 को अप्रार्थी सं. 3 व 4 की ओर से उनके अधिवक्ता ने जवाब पेश किया। प्रस्तुत जवाब में मुख्य रुप से यह उल्लेख किया गया है कि मेसर्स लोटे इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जिसे पहले मेसर्स हैवमोर आइसक्रीम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, और बाद में मेसर्स लोटे इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में में विलय हो चुकी है) (आगे प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में उल्लिखित) अन्य कार्यों के साथ–साथ पूरे भारत में अपने ग्राहकों को आइसक्रीम के निर्माण एवं विक्रय के व्यवसाय में संलग्न है। प्रतिवादी संख्या 4, पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम, 1913 के अंतर्गत पंजीकृत एक कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय द्वितीय तल, कॉमर्स हाउस 4,शेल पेट्रोल पंप के पास, प्रह्लादनगर आनंदनगर रोड, अहमदाबाद–380015 में स्थित है तथा यह कंपनी सभी लागू कानूनों के अनुपालन के प्रति प्रतिबद्ध है, तथा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (जिसे इसके बाद ""एफएसएस अधिनियम" कहा गया है) के तहत विधिवत लाइसेंस प्राप्त खाद्य व्यवसाय संचालक है। यह भी निवेदन है कि श्री मनोज दोसी (प्रतिवादी संख्या 1) एक खुदरा विक्रेता हैं और दोसी मार्केटिंग कंपनी नाम से अपने ग्राहकों को विभिन्न वस्तुओं सहित हैवमोर बटरस्कॉच आइसक्रीम के विक्रय के व्यवसाय में संलग्न हैं। जबकि सुश्री हर्षिता दोसी (प्रतिवादी संख्या 2) उक्त प्रतिष्ठान की स्वामिनी/ मालकिन हैं तथा श्री दीपक भगवती (प्रतिवादी संख्या 3) प्रतिवादी संख्या 4 के नामित प्रतिनिधि हैं (आगे सामूहिक रूप से प्रतिवादीगण)।प्रतिवादियों की ओर से वर्तमान उत्तर दाखिल करने हेतु श्री करण शाह को अधिकृत करने वाला बोर्ड प्रस्ताव की प्रति संलग्न है, जिसे अनुलग्नक–1 के रूप में चिह्नित किया गया है।

लोटे उद्योग में खाद्य सुरक्षा उत्पादन के उच्चतम मानकों में से एक का पालन करती है। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि कंपनी सभी निर्धारित मानकों का पालन करती है तथा निर्माण प्रक्रिया का प्रत्येक चरण कठोर निरीक्षण एवं परीक्षण के अधीन रहता है। इसके अतिरिक्त कंपनी का प्रत्येक उत्पाद कठोर गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण से गुजरता है। जब तक उत्पाद निर्धारित गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करता, तब तक उसे निर्माण संयंत्र के गुणवत्ता नियंत्रण विभाग द्वारा बिक्री हेतु स्वीकृत [illegible] जाता।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:29 IST
Reason: SelfAttested

यह कि विवादित उत्पाद रेड वेलवेट आइसक्रीम [illegible] रेड वेलवेट की बाहरी परत होती है, जो एक गैर–डेयरी (नॉन–डेयरी) [illegible] है। खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 के विनियम 2.1.14(1)(c)(i) के नोट 1 के

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

अनुसार– "ऐसे मामले में जहां गैर–डेयरी अवयवों की कोटिंग, बेस या परत उत्पाद का एक अलग हिस्सा बनाती है, वहां केवल आइसक्रीम वाला हिस्सा ही संबंधित संरचना (Composition) के अनुरूप होना चाहिए।" उपरोक्त विनियमन के मात्र अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि खाद्य विश्लेषक के लिए आइसक्रीम वाले हिस्से का विश्लेषण करने से पहले गैर–डेयरी रास्पबेरी सिरप परत को अलग करना अनिवार्य था। विवादित उत्पाद के अवयवों (Ingredient) की विस्तृत संरचना इस प्रकार है:

– मध्य परत – आइसक्रीम (63.3%) ''रू एडेड वाटर, मिल्क सॉलिड्स, चीनी, एगलेस रेड वेलवेट केक (4.0%), आदि।
– निचली परत – एगलेस रेड वेलवेट केक और सॉस (21.4%) **: एगलेस रेड वेलवेट केक (18.3%), सॉस (3.1%), आदि।
– टॉपिंग – एगलेस रेड वेलवेट केक और व्हिप क्रीम (15.3%) ''रू एगलेस रेड वेलवेट केक (9.5%), व्हिप टॉपिंग (5.4%), आदि।

चूंकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विवादित उत्पाद को पिघलाया और डेयरी और गैर–डेयरी दोनों भागों को एक साथ मिला दिया, इसलिए विश्लेषण के परिणाम स्वाभाविक रूप से निर्धारित मानक से नीचे आ गए। विश्लेषण के लिए भेजने से पहले पूरे उत्पाद को पिघलाने और डेयरी तथा गैर–डेयरी भागों को मिलाने का खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सीधे तौर पर इस वैधानिक आवश्यकता का उल्लंघन करता है। इससे एक भ्रामक परिणाम सामने आया है, क्योंकि गैर–डेयरी परत ने आइसक्रीम के हिस्से में मौजूद दूध की वसा (मिल्क फैट) को पतला कर दिया, जिससे एक मानक–अनुरूप उत्पाद "अवमानक" (sub-standard) प्रतीत हुआ। यह दोषपूर्ण कार्यप्रणाली खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट को अविश्वसनीय और अस्वीकार्य बनाती है। इस सिद्धांत को अदालतों द्वारा बरकरार रखा गया है, जिन्होंने लगातार यह माना है कि यदि नमूना संग्रह या विश्लेषण का तरीका नियमों के सख्त अनुसार नहीं है, तो अभियोजन (Prosecution) को कायम नहीं रखा जा सकता है। एफएसएस (FSS) विनियमन के प्रासंगिक अंश की एक प्रति यहाँ संलग्न है और इसे अनुबंध–3 के रूप में चिह्नित किया गया है।

माननीय न्यायालय के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि एफएसओ,बांसवाड़ा ने विवादित उत्पादों के चार पैकेट एकत्र किए, जिनमें से प्रत्येक 450 मिलीलीटर था, यानी प्रत्येक उत्पाद का 1800 मिलीलीटर। इन नमूनों को फिर चार समान भागों में विभाजित किया गया, जिनमें से प्रत्येक में 450 मिलीलीटर था। खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:29 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

विश्लेषण) विनियम, 2011 के अनुसार, नमूने के प्रत्येक 450 मिलीलीटर के लिए, एफएसओ को फॉर्मेलिन (formalin) की 54 बूंदें मिलानी होती हैं। हालांकि, एफएसओ, बांसवाड़ा ने संरक्षण के लिए प्रत्येक भाग में फॉर्मेलिन की केवल 40 बूंदें ही मिलाईं। निर्धारित प्रक्रिया से यह महत्वपूर्ण विचलन नमूने की विश्वसनीयता और गुणवत्ता के संबंध में गंभीर चिंताएं पैदा करता है, जिससे संभावित रूप से गलत परिणाम आ सकते हैं। खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) विनियम, 2011 का इस तरह का पर्याप्त उल्लंघन परीक्षण प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर करता है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 4 को एफएसएस अधिनियम की धारा 46(4) के तहत कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि एफएसओ, बांसवाड़ा ने प्रतिवादी संख्या 4 को कोई पत्र नहीं भेजा, जिससे उन्हें रेफरल खाद्य प्रयोगशाला द्वारा नमूने का विश्लेषण कराने के उनके अधिकार से अवगत कराया जा सके। इस प्रकार, एफएसओ, बांसवाड़ा द्वारा शिकायत, एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 46 (4) के प्रावधान को अनदेखा करते हुए पेश की गई है, जो इस प्रकार है–

धारा 46(4): "खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरुद्ध अपील नामित अधिकारी (Designated Officer) के समक्ष होगी, जो यदि उचित समझे, तो मामले को राय के लिए खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित रेफरल खाद्य प्रयोगशाला को भेज सकता है।"

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "विजेंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य" (आपराधिक अपील संख्या 1167 वर्ष 2019) के मामले में यह माना है कि पंजीकृत डाक द्वारा धारा 13 (2) के तहत नोटिस भेजने को दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा रिकॉर्ड पर साबित किया जाना चाहिए। डाक रसीद या पावती के किसी भी प्रमाण के अभाव में, केवल यह कथन कि नोटिस पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया था, प्रतिवादियों पर कोई दंड लगाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा षविजेंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य" (आपराधिक अपील संख्या 1167 वर्ष 2019) के मामले में पारित निर्णय की एक प्रति इसके साथ संलग्न है और इसे अनुबंध–4 के रूप में चिह्नित किया [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:29 IST
Reason: SelfAttested

यहाँ यह उल्लेख करना भी [illegible] ने विवादित उत्पाद के लेबल पर भंडारण की स्थिति (Storage Conditions) [illegible] स्पष्ट रूप से इंगित किया है। विवादित उत्पाद को बिना किसी अपवाद के –18 डिग्री सेल्सियस या उससे कम तापमान पर संग्रहीत किया जाना चाहिए। इस भंडारण की स्थिति का सख्ती से पालन करने में

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

विफलता से आइसक्रीम की गुणवत्ता में भारी गिरावट आ सकती है, और इसे इस तापमान से ऊपर संग्रहीत करने से इसकी गुणवत्ता से समझौता होगा। विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा यह भी माना गया है कि "आइसक्रीम एक जल्दी खराब होने वाली (perishable) वस्तु है और इसका ठीक से परीक्षण करने के लिए, इसकी वास्तविक क्षमता का पता लगाने के लिए कम समय के भीतर इसका परीक्षण किया जाना उचित है।

उपरोक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह कि खुदरा विक्रेता होने के नाते प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 4, एफएसएस अधिनियम, 2006 की धारा 80(B)(2)(d) के तहत सुरक्षित हैं। यह उत्पाद प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 से सीलबंद, पैक स्थिति में खरीदा गया था और उसी स्थिति में बेचा गया था। प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 ने किसी भी तरह से उत्पाद को खोला, छेड़ा या बदला नहीं। इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 ने निर्माता द्वारा निर्धारित भंडारण स्थितियों के अनुसार उत्पाद का रखरखाव किया है, अर्थात –18 डिग्री सेल्सियस या उससे कम पर। उसी का प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है:

धारा 80(B) (2)(d)

... भोजन की बिक्री से जुड़े अपराध के मामले में, कि–

1. व्यक्ति ने भोजन को उसी स्थिति में बेचा जिस स्थिति में उसने उसे खरीदा था;

2. व्यक्ति ने भोजन को उस स्थिति से भिन्न स्थिति में बेचा जिस स्थिति में उसने उसे खरीदा था, लेकिन उस भिन्नता के परिणामस्वरूप इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ ...इसके अलावा, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम ज्ञान चंद (1966) में, एक समान प्रावधान की व्याख्या करते हुए, यह माना कि एक विक्रेता जो सीलबंद पैकेट में सामान खरीदता है और बिना किसी बदलाव के उसी स्थिति में बेचता है, उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। अभियोजन पक्ष यह दिखाने के लिए कोई भी सबूत पेश करने में विफल रहा है कि प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 को कथित उल्लंघन का [illegible] था या उनके कार्यों के कारण उत्पाद मानक से नीचे हो गया, और [illegible] अवलोकनसे, प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 को [illegible] कथितउल्लंघनों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए, जब तक कि वे निर्माता के निर्देशों का पालन करते हुए विवादित उत्पाद को संग्रहीत करते हैं और उसका व्यवहार करते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:29 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

प्रतिवादियों के विरुद्ध शिकायत विचारणीय (Maintainable) नहीं है क्योंकि एफएसओ, बांसवाड़ा द्वारा दायर की गई शिकायत अनुचित, निराधार है, और कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है। जवाब के अधीन इस शिकायत में गुण–दोष का अभाव है और यह स्पष्ट रूप से असमर्थनीय है और इसलिए इसे पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि विवादित उत्पाद एफएसएस अधिनियम की परिभाषा के भीतर 'अवमानक' (Sub standard) नहीं है और इसलिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii) के तहत प्रतिवादियों के विरुद्ध शिकायत, जो एफएसएस अधिनियम की धारा 51 और 66 के तहत दंडनीय है, को खारिज किया जाना चाहिए और प्रतिवादियों के पक्ष में न्यायनिर्णयन किया जाना चाहिए।

अतः शिकायत झूठी और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है तथा न्याय एवं साम्य के हित में खारिज किए जाने योग्य है। अतः यह शिकायत आधारहीन, अवैध तथा विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। शिकायत खारिज होने योग्य है क्योंकि परिवादी के पक्ष में और प्रतिवादीगण के विरुद्ध कार्रवाई का कोई कारण (cause of action) कभी उत्पन्नही नहीं हुआ और इसलिए प्रतिवादीगण को एफएसएस अधिनियम की धारा 51के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, और शिकायत को पूरी तरह से खारिज किया जाए।

दिनांक 16.03.2026 को अप्रार्थीगण सं. 3,4 के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर कथन किया कि प्रकरण में प्रस्तुत जवाब को बहस का आधार मानते हुए निस्तारण करने निवेदन किया।

दिनांक 28.04.2026 को विभागीय पैरोकार ने उपस्थित होकर बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/247 दिनांक 30–05–2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 581 दिनांक 30–05–2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Cake Icecream Red valvet Heart Beat (Havmor)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1819** Substanderd food under section [illegible] of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा खाद्य पदार्थ **Cake Icecream Red valvet Heart Beat (Havmor)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:29 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

हमने पत्रावली का अध्ययन किया एवं अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन एवं उस पर मनन किया। अप्रार्थी सं 3,4 का यह कथन कि प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 क्रमशः खुदरा विक्रेता एवं प्रतिष्ठान की स्वामिनी हैं, न कि उत्पाद के निर्माता या पैकर। विवादित उत्पाद निर्माता से सीलबंद अवस्था में खरीदा गया तथा उसी अवस्था में विक्रय किया गया। अतः प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 को FSS Act की धारा 80(B)(2)(d) के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 एफएसएस अधिनियम की धारा 80(B)(2)(d) के तहत सुरक्षित हैं और निर्माता द्वारा किसी भी कथित उल्लंघन के लिए उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, जब तक कि उत्पाद को आवश्यक शर्तों के अनुसार संग्रहीत किया गया हो। इस सन्दर्भ यह कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 को प्रकरण में सुनवाई की सूचना होने के उपरांत भी उनके द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नही किया है। न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थी सं. 1 व 2 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये है।

इस प्रकार अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2024 / 247 दिनांक 30–05–2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 581 दिनांक 30–05–2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Cake Icecream Red valvet Heart Beat (Havmor)** का नमुना कोड क्रमांक **W-1819** Substanderd food under section 3(1)(zx) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टेण्डर्ड पाया गया खाद्य पदार्थ **Cake Icecream Red valvet Heart Beat (Havmor)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम–2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपीगणो को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थीगण श्री मनोज दोसी पुत्र श्री महेश दोसी जाति जैन निवासी [illegible] के सामने बांसवाडा, (विक्रेता), श्रीमती हर्षिता दोसी पत्नी मनोज दोसी (फर्म मालिक) [illegible] जी.पी.ओ. सर्कल के सामने, बांसवाडा को रूपये 2,500 / – (अक्षरे दो हजार पाँच सौ रुपया मात्र), **M/S HAVMOR ICECREAM PRIVATE LIMITED, Reg. Office-2nd Floor, Commerce**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:29 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

House-4, Beside Shell Petrol Pump, 100Ft Road Prahlad Nagar, Ahmedabad को रूपये 15,000/– (अक्षरे पन्द्रह हजार रुपया मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 28–04–2026 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(राजीव द्विवेदी)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajeev Dwivedi
Date: 2026.05.12 12:22:29 IST
Reason: SelfAttested